

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बनाम.....

चत्तरभुज

किस्म मुकदमा.....

बाद.....

नं०.....

59/2022

सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुए
24/12/2024	<p>पत्रावली पेश हुई... अभिजात संघ द्वारा व्यक्ति कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/11/25 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
08/01/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वदी द्वारा पत्रावली में Not-press कर कोई अक्रिम कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया। पत्रावली का अवरलोकन किया गया। उभय पक्ष को शुना गया। पत्रावली में वकील वदी द्वारा Not- press कर कोई अक्रिम कार्यवाही नहीं चाहने से। पत्रावली इसी स्तर पर बिट्टी में खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार ही दर्ज/रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तरे।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	<p>Not-press अ. व. पत्रावली</p>